न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर (म.प्र.)

क्र0/ /री.कले/16

प्रति, सागर, दिनांक /06/2016

प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन
राजस्व विभाग मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)

विषयः— जिला सागर में महान कोल ब्लाक के लिये बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वन भूमि 967.65 हे. में से अन्य परियोजनाओं के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटन करने बाबत्।

संदर्भः—(1) सचिव म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पृ.क्र.—एफ— 5—2/2010/10—3/1774 भोपाल दिनांक 26.05.2016 प्राप्त दि. 27.06.16

(2) प्रबंध संचालक, म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल का पत्र क्रमांक—औकेविनिभोपाल/भू—अर्जन/2008/4189 दिनांक 28.06.16

—::—

म.प्र. शासन राजस्व विभग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक—एफ—16—17 /2013/सात/2—ए भोपाल दिनांक 29.05.13 के द्वारा मेसर्स महान कोल लिमिटेड सिंगरोली की विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु जिला सागर की तहसील मालथौन, सागर, देवरी, रहली, केसली में कुल 967.65 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसका हस्तांतरण विभिन्न प्रकरण द्वारा वन विभाग को किया गया।

संदर्भित पत्र दिनांक 26.05.16 के अनुसार वन विभाग को हस्तांतरित भूमि 967.65 हे. भूमि म.प्र.शासन वन विभाग मत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा निम्न विभागो/संस्थाओं को बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है।

1	जल संसाधन विभाग को	—	250.08 हे
2	एम.पी.ट्राइफेक को (मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल के लिये)	—	214.120 हे.
	शेष भूमि नर्मदा घाटी, हेक्टेयर विकास प्राधिकरण को	—	503.45 हे.
		योग—	9674.65 हे.

प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक—औकेविनिभोपाल/भू—अर्जन/2008/4189 दि. 28.06.16 के द्वारा तहसील केसली में हस्तांतरित भूमि में से 214.12 हे. भूमि औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप हेतु नामांकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

म.प्र.शासन, राजस्व विभाग के ज्ञापन क्रमांक—एफ—16—17/2007/सात/शा —2ए भोपाल दिनांक 22.04.16 के द्वारा मेसर्स महान कोल लिमिटेड सिंगरोली द्वारा राशि जमा करने की जानकारी चाही गई थी, जिसे इस कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक—3783/री.कले./16 सागर दिनांक 06.05.16 के द्वारा शासन को जानकारी भेजी गई है, जिसके संबंध में शासन के कोई निर्देश इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल के पत्र क्रमांक—औकेविनिभोपाल/भू—अर्जन/2008/4189 दिनांक 28.06.16 के संबंध में कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें।

म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के संदर्भित पत्र प्रबंध संचालक म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल के पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(विकास नरवाल)
कलेक्टर
जिला—सागर

ccf Sagar to APCCF, Land management, ...

कार्यालय वन वृत, सागर मध्य प्रदेश

E-mail – ccf.sgr@mp.gov.in, cfsagar@gmail.com, Phone & Fax No.-07582-236262

कमांक/मा.चि./व्यय/ 1257 सागर, दिनांक 23/07/2016

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
म.प्र.भोपाल।

विषयः-- जिला सागर में महान कोल ब्लॉक के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आंवटित गैर वनभूमि 967.65 हेक्टेयर में से 503.45 हेक्टेयर भूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को आवंटित करनें बावत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/एफ-3/287/2016/10-11/1434 दिनांक 02/07/2016

------000------

विषयांकित में आपके संदर्भित पत्र दिनांक 02/07/2016 के निर्देशों के पालन में जिला सागर में महान कोल ब्लॉक के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आंवटित 967.65 हेक्टेयर गैर वनभूमि शासन के निर्देशानुसार निम्नानुसार विभागों को ग्राम/खसरावार आंवटित की गई हैः–

क्र	वन मंडल	परिक्षेत्र	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकवा (हे.में)	आवंटित विभाग का नाम
1	उत्तर सागर	मालथौन	मृगावली	1/1	96.00	जल संसाधन विभाग
2		मालथौन	भिलैया	402/1	30.00	
3		उत्तर सागर	मसवासीग्रंट	37/2	50.00	
4	दक्षिण सागर	देवरी	मुडेरी	47/01	47.00	
5		केसली	भरदी	88(का भाग लिया जावेगा)	14.38	
6		केसली	खरखरी	1(का भाग लिया जावेगा)	4.68	
7		गौरझामर	सहजपुरी	1/2(का भाग लिया जावेगा)	8.02	
				Total	**250.08**	
8		केसली	खरखरी	1(का भाग लिया जावेगा)	16.50	म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल
9		केसली	भरदी	61,79,82,85,88(का भाग लिया जावेगा)	90.62	
10		केसली	बम्होरी	312/1	62.00	
11		केसली	घाना	411	45.00	
				Total	**214.12**	
		गौरझामर	सहजपुरी	1/2(का भाग लिया जावेगा)	37.45	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल
12		ढाना	खमकुआ	595(P), 623	100.00	
13		ढाना	खमकुआ	6, 9/1(P),37	100.00	
14		ढाना	खमकुआ	53/1(P), 58, 595(P)	100.00	
15		ढाना	खमकुआ	104/1(P),144/1, 415/2	100.00	
16		ढाना	खमकुआ	9/1(P), 53/1(P), 84	66.00	
				Total	**503.45**	
				Grand Total	**967.65**	

नोट :– परिक्षेत्र केसली के ग्राम भरदी खसरा क्रमांक–88 कुल रकवा 25.99 ha. एवं ग्राम खरखरी खसरा क्रमांक–1 कुल रकवा 21.18 ha. तथा परिक्षेत्र गौरझामर के ग्राम सहजपुरी खसरा क्रमांक –1/2 कुल रकवा 45.47 ha दो विभागो में उपरोक्त सूची में दर्शित अनुसार आंवटित किया गया है।

(कमलेश चतुर्वेदी)
भा.व.से.1988
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर

क्रमशःपृ.क्र.–2

D/Moaz/FCA/ Permission

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

3030
28/7/16

25/7/16

क्रमांक / मा.चि. / व्यय / 1258 सागर दिनांक 23/07/2016

प्रतिलिपि–

वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर एवं दक्षिण सागर को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ-3/287/2016/10-11/1434-1435 दिनांक 02/07/2016 जो आपको पृष्ठांकित है, के संदर्भ में उपरोक्तानुसार विभागों को अभिलेख अनुसार आवंटित की गई गैरवनभूमि की खसरा / रकवावार पुष्टि करते हुये तत्काल अवगत करावें। यदि कोई संशोधन है तो पुनरीक्षित करते हुये वरिष्ठ / संबंधित विभागों को तत्काल सूचित करना सुनिश्चित करें।

23.7.16

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर
23/7/16

न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर

प्रकरण क्र. 25 अ/19(3) वर्ष 17–18
ग्राम डोंगर सलैया, जैतपुर कछैया, झिरिया, छिरारी,
भुहारा, बम्होरी, विलैकी, चक्क विलैकी, खठौला,
झरिया, पटना खुर्द, चिरई, रेगाझोली
तहसील केसली, रहली, देवरी जिला सागर (म.प्र.)

उपाध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव
म.प्र.नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
भोपाल (म0प्र0) ....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 18/09/2018)

उपाध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल का अर्द्ध शा.पत्र क्रमांक म- 231/ मोरण्ड–गंजाल/14 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 के द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत नर्मदा एंव उसकी सहायक नदियों पर सिंचाई परियोजना प्रस्तावित होने से उक्त योजना में 2371 हे. वन भूमि प्रभावित होने से वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु गैर वन भूमि की आवश्यकता होने का उल्लेख किया गया है।

सागर जिले के अंतर्गत महान कोल परियोजना हेतु आवंटित 967.650 हे. गैर वन भूमि परियोजना के निरस्त होने के कारण नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पक्ष में म.प्र.शासन द्वारा 503.45 हे. भूमि प्राधिकरण को आवंटित की गई है। प्राधिकरण की इस परियोजना हेतु शेष वैकल्पिक गैर वन भूमि की उपलब्धता हेतु सागर जिले में काफी बड़ी मात्रा गैर वन भूमि/ छोटे–बडे झाड़ की जंगल भूमि उपलब्ध होने से सागर जिले की तहसील रहली, गढ़ाकोटा एंव देवरी में उपलब्ध भूमि की जानकारी देते हुए 2000 हे. भूमि प्राथमिकता से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। जिसके संबंध में अधीक्षक भू–अभिलेख से जानकारी ली गई है। अधीक्षक भू–अभिलेख सागर द्वारा अपने पत्र कमांक/76/अ.भू.अ./भू.प्र./2018 दिनांक 12.04.18 अनुसार 1097.75 हे. भूमि उपयुक्त पाया जाना लेख किया गया। जिसके संबंध में नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं वन विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त स्थल जांच की गई।

अधीक्षक भू–अभिलेख सागर द्वारा नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं वन विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों के संयुक्त जांच उपरांत पत्र कमांक–158/अ.भू.अ./भू.प्र./2018 सागर दिनांक 28.08.18 के साथ संलग्न सूची अनुसार तहसील केसली, रहली एवं देवरी की कुल भूमि 1021.99 हे. एवं तहसीलदार देवरी के पत्र कमांक–1275/री–1/2018 देवरी दिनांक 24.08.18 अनुसार ग्राम जैतपुर कछया की भूमि ख.नं. 571/1 में से 50.00 हे. अतः कुल 1071.99 हे. भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी है।

19 SEP 2018
MC(E&F)
M(Engg)
CE(CISP)
Sanawad
EE 23 BTC
1848 19.9.18

तहसील देवरी की भूमि –(सूची कमांक–1)

क्र	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	संयुक्त दल द्वारा किये गये सर्वे नं. की जानकारी		तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रकवा हे. में	भूमि की नोइयत	वन मण्डलाधिकारी द्वारा	
							प्रस्तावित रकवा हे. में	अतिकमण मुक्त रकवा हे. में
01	02	03	04		05	06	07	08
01	देवरी	डोंगर सलैया	181	114	100.00	चरनोई	100.00	100.00
		जैतपुर कछैया	571/1	120–29	50.00	—	50.00	50.00
		झिरिया	103/1	19.02	4.00	चरनोई	4.00	4.00
			23	23.92	11.92	चरनोई	11.92	10.92
			100	29.34	9.32	चरनोई	9.32	8.34
			13	95.11	45.11	चरनोई	45.11	40.11
कुल योग–				401.68	220.35		220.35	213.37

DM (Banday)

P.T.O.

कलेक्टर
सागर

सदस्य (पर्या. एवं वन)
न.घा.वि.प्रा., भोपाल

प्रकरण क. 25 अ/19(3) वर्ष 17–18

तहसील रहली की भूमि –(सूची कमांक–2)

क्र	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	संयुक्त दल द्वारा किये गये सर्वे नं. की जानकारी		तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रकवा हे. में	भूमि की नोइयत	वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित रकवा हे. में	वन मण्डलाधिकारी द्वारा अतिकमण मुक्त रकवा हे. में
01	02	03	04		05	06	07	08
02	रहली	छिरारी	1122	211.00	141.00	चरनोई	141.00	141.00
			275	22.44	12.44	चरनोई	12.44	12.44
			372	29.81	27.81	चरनोई	27.81	27.81
			332	12.20	3.20	चरनोई	3.20	3.20
			446/1	16.91	6.91	चरनोई	6.91	6.91
			1156/1	18.44	10.44	चरनोई	10.44	10.44
			1109	22.20	0	चरनोई	0	20.20
			1217	24.53	20.53	चरनोई	20.53	20.53
			1107	11.33	0.02	चरनोई	0.02	11.33
			1200	5.18	3.18	चरनोई	3.18	3.18
कुल योग–				374.04	225.53		225.53	257.04

तहसील केसली की भूमि –(सूची कमांक–3)

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	संयुक्त दल द्वारा किये गये सर्वे नं. की जानकारी		तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रकवा हे. में	भूमि की नोइयत	वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित रकवा हे. में	वन मण्डलाधिकारी द्वारा अतिकमण मुक्त रकवा हे. में
01	02	03	04		05	06	07	08
03	केसली	भुहारा	20	6.32	5.32	चरनोई	5.32	5.32
			21	82.83	78.83	चरनोई	78.83	78.83
			232	5.90	5.90	चरनोई	5.90	5.90
			246	20.00	18.00	चरनोई	18.00	18.00
		बम्होरी	287	38.22	32.22	चरनोई	32.22	32.22
			288	0.11	0.11	चरनोई	0.11	0.11
			292	11..70	9.70	चरनोई	9.70	9.70
			295	17.21	13.21	चरनोई	13.21	13.21
		विलैकी	3	24.64	21.64	चरनोई	21.64	21.64
			21	25.46	17.46	चरनोई	17.46	17.46
			22	6.50	6.50	चरनोई	6.50	6.50
			24	10.93	8.93	चरनोई	8.93	8.93
			62	31.86	19.86	चरनोई	19.86	19.86
			69	17.01	16.01	चरनोई	16.01	16.01
			108	0.18	0.18	चरनोई	0.18	0.18
			109	13.26	11.26	चरनोई	11.26	11.26
		चक्क विलैकी	31/1	48.10	43.10	चरनोई	45.10	43.10
			71	32.09	18.09	चरनोई	18.09	18.09
		खठौला	24	35.68	27.68	चरनोई	27.68	27.68
			84/1	18.32	14.32	चरनोई	14.32	14.32
		झिरिया	402/1	36.06	30.06	चरनोई	30.06	30.06
			444	18.41	15.41	चरनोई	15.41	15.41
			447	19.03	11.03	चरनोई	11.03	11.03
		पटना खुर्द	673	41.56	41.56	शा.वन भूमि	41.56	41.56
			336	45.54	14.54	शा.वन भूमि	41.56	14.54
		चिरई	103	105.66	100.66	शा.वन भूमि	105.66	100.66
		रेगाझोली	234/1	98.46	20.00	चरनोई	20.00	20.00
योग	1	9		811.04	601.58		635.60	601.58
कुल योग–				1586.76	1047.46		1081.48	1071.99

P.T.O.

कलेक्टर
सागर

प्रकरण क. 25 अ/19(3) वर्ष 17–18

अतः आदेश की सूची कमांक–01, 02 एवं 03 के कालम नंबर 08 में दर्शाई गई ग्राम डोंगर सलैया, जैतपुर कछैया, झिरिया, छिरारी, भुहारा, बम्होरी, विलैकी, चक्क विलैकी, खठौला, झिरिया, पटना खुर्द, चिरई, रेगाझोली तहसील केसली, रहली, देवरी जिला सागर की भूमि का म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 (यथा संशोधित 2011) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए रकवा 1071.99 हे. होशंगाबाद जिले की मोरंड–गंजाल संयुक्त परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले क्षति पूर्ति वनीकरण के लिए सागर जिले में वृक्षारोपण हेतु कुल रकवा 1071.99 हे. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल को आरक्षित की जाती है।

उक्त भूमि के आरक्षित होने से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। आरक्षित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

Alok

(आलोक कुमार सिंह)
कलेक्टर
जिला–सागर

पृ0क0/10456/रीठकले0/2018 — सागर दिनांक 18/09/2018

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव म.प्र.नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण 59, अरेरा हिल्स जेल रोड नर्मदा भवन, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत सागरको सूचनार्थ।
3. वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर (सा.) वन मंडल सागर जिला सागर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
4. उप वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर/देवरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी केसली/देवरी/रहली जिला सागर की ओर सूचनार्थ।
6. तहसीलदार केसली, रहली, देवरी जिला सागर को आदेशानुसार अभिलेख दुरूस्ती एवं आरक्षित भूमि का अधिपत्य संबंधित विभाग को दिलाये जाने उपरांत संशोधित अभिलेख खसरा नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं अधिपत्य दिये जाने का पंचनामा प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को भेजे।
7. वन परिक्षेत्र अधिकारी ढाना/केसली/देवरी/गौरझामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Alok

कलेक्टर
जिला–सागर